



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



सं.- ए-32012/1/2025-मा.सं.प्र.-II/657

दिनांक:- 02.06.2025

कार्यालय आदेश

विषय: तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 में क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त, ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, निम्नलिखित सहायक भविष्य निधि आयुक्त को वेतन मैट्रिक्स के लेवल II (ग्रेड वेतन रु. 6600/-) में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-II के पद पर अगले आदेश तक तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

क्रम. संख्या	नाम	इआईडी
1.	ऋतु कनौजिया, स.भ.नि.आ.	आरआर231271089210100
2.	एल मंगेयारकरासी, स.भ.नि.आ.	एलएस160572058111199
3.	कृष्ण कुमार, स.भ.नि.आ.	केएन190168089101292

- तदर्थ पदोन्नति पर, अधिकारी अगले आदेशों तक वर्तमान तैनाती स्थान पर बने रहेंगे। तदर्थ पदोन्नति, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। अधिकारी का स्थानांतरण आदेश अलग से जारी किया जाएगा।
- पदोन्नति सीलड कवर के मामलों के कारण उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ आधार पर की जाएगी, जब तक कि सीलड कवर के मामलों को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता है या ग्रेड में नियमित रिक्तियां उत्पन्न नहीं हो जाती हैं, जो भी पहले हो। यदि कोई अधिकारी, जिसकी संस्तुति सीलड कवर में है, को दोषमुक्त कर दिया जाता है और सीलड कवर खोला जाता है तथा अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे पदोन्नति में

प्राथमिकता दी जाएगी, यदि कोई हो और यदि इस अधिकारी के लिए कोई रिक्ति नहीं है तो सबसे कनिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट कर दिया जाएगा।

4. यह नियुक्ति अन्य सभी पात्र अधिकारियों की वरिष्ठता और नियमित आधार पर पदोन्नति के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी और इससे उन्हें न तो नियमित आधार पर पदोन्नति या वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त होगा।
5. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-II के रूप में उपर्युक्त अधिकारी की जॉइनिंग रिपोर्ट संबंधित नियंत्रण कार्यालय द्वारा ई-मेल के माध्यम से rel.hrm@epfindia.gov.in पर मा.सं.प्र., मुख्यालय को भेजी जाए। इसके अलावा, इसे एचआर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अपडेट किया जाए।
6. उपर्युक्त अधिकारी की पदोन्नति, इस विषय-वस्तु से संबंधित विभिन्न न्यायालयीन मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन है।

(केन्द्रीय भ. नि. आयुक्त के अनुमोदन से जारी)

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1/(मा.सं.प्र.-1)

सेवा में,

संबंधित अधिकारी

प्रतिलिपि : (क.भ.नि.स. की वेबसाइट के माध्यम से)

1. माननीय अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क. भ. नि. के निजी सचिव
2. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव
3. कें.भ.नि.आ. के निजी सचिव
4. वि. सला. एवं मु.ले. अधि. /मु. सत. अधि./ अपर कें.भ.नि.आ. (मुख्या.)/ निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव
5. सभी अपर कें.भ.नि.आ., मुख्यालय और अंचल/मुख्य अभियंता
6. सभी क्षेत्रीय भ.नि.आयुक्त प्रभारी (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)/ क्षेत्रीय भ.नि.आयुक्त (प्र. से प्र.), मुख्यालय/ क्षेत्रीय भ.नि.आयुक्त(एनडीसी)
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी
8. सभी उप. निदेशक (सतर्कता)/ आंचलिक लेखापरीक्षा दल/ आ.प्र.सं. के क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त
9. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी संघ, लुधियाना,
10. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल

11. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फाइल

शारिफ

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1/(मा.सं.प्र.-1)